भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2513
उत्तर देने की तारीख : 20.12.2021

नई रोशनी योजना पर खर्च हुआ बजट

2513. श्री नीरज डांगीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास हेतु नई रोशनी योजना के लिए किए गए बजटीय आवंटन का और उस पर किए गए व्यय का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई रोशनी ने अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग): नई रोशनी योजना का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। यह 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, और सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष समर्थन से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। योजना से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी http://nairoshni-moma.gov.in पर उपलब्ध है। 2014–15 से अब तक 3.37 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुकी हैं।

वर्ष 2016–17 में महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए नई रोशनी योजना के तहत बजट आवंटन और व्यय 1500 लाख रु. और 1472 लाख रु. 2017–18 में 1700 लाख रु. और 1519 लाख रु., 2018–19 में 1700 लाख रु. और 1383 लाख रु., 2019–20 में 1000 लाख रु. और 710 लाख रु. तथा 2020–21 के लिए 600 लाख रु. और 600 लाख रु. है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और दबे–कुचले वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आदि जैसी योजनाओं के साथ विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली मेधावी अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी लागू करता है। यह योजना केवल छात्राओं के लिए ही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) महिला समृद्धि योजना लागू करता है जिसमें महिलाओं के अनुकूल शिल्प गतिविधियों में महिलाओं के समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, यह मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के शैक्षिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को भी लागू करता है, जिसके तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की जाती हैं।

वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (NSP) के माध्यम से 5.1 करोड़* से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है जिसमें से 52% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

वर्ष 2014–15 से, मंत्रालय द्वारा विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन 3.74 लाख महिलाएं लाभांवित हो चुकी हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के 1300 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) योजना लागू करता है जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामाजिक–आर्थिक संपत्ति और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना है। PMJVK के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केंद्रित परियोजनाएं हैं। यह योजना महिलाओं के लिए सुविधाएं सृजित करने वाली परियोजनाओं जैसे बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, बालिका आवासीय विद्यालय, बालिका महाविद्यालय, महिला आई.टी.आई., कामकाजी महिला हॉस्टल आदि को प्राथमिकता देती है।

*आंकड़े में वे लाभार्थी भी शामिल हैं जो वर्ष 2021–22 हेतु छात्रवृत्तियों का लाभ उठाएंगे जिसके लिए बजट आवंटित किया गया है।

******